

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

RTE
19/9/2017

विषय :- आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, नवप्रवेशित व पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक प. 12(6)शिक्षा-5/आरटीई/2014 जयपुर, दिनांक 10.04.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गये थे।

दिशा-निर्देशों के अध्याय -3 में भौतिक सत्यापन हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए भौतिक सत्यापन के नवीन दिशा-निर्देश (प्रति संलग्न) एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी है:-

1. व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से इन दिशा-निर्देशों को प्राइवेट स्कूल वेब-पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें।
2. एनआईसी के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब-पोर्टल पर उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न- भौतिक सत्यापन दिशा-निर्देश

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)

वरिष्ठ शासन उप-सचिव
शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2017-18/49

दिनांक:-10/10/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, प्रथम तल, खंड 6, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर आवश्यक तदनुसार कार्यवाही हेतु।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त).....।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त).....।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

गैर-सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

गैर-सरकारी विद्यालयों में सत्र 2017-18 में निःशुल्क शिक्षा हेतु नव प्रवेशित एवं पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी दिशा-निर्देश
(निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत)

भाग-1

भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. सत्यापन दलों का गठन:-

- 1.1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) अपने-अपने परिक्षेत्र के गैर-सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 1.2 दलों का गठन केवल उन्ही विद्यालयों के लिए किया जायेगा, जिनमें आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क सीट्स पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह सूची बीईईओ/डीईओ मा.शि. के लॉगिन में उपलब्ध है।
- 1.3 एक सत्यापन दल को सामान्यतया 3-5 विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। आवंटन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि गत सत्र में गठित सत्यापन दलों की यथावत पुनरावृत्ति नहीं हो तथा उनको आवंटित विद्यालय भी परिवर्तित हो जायें।
- 1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./अध्यापक/लिपिक वर्ग होगा।
- 1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेंगे तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जायेगा।
- 1.6 दलों के गठन में यह ध्यान रखा जायेगा कि उन्हीं विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षक सत्यापन दलों में लगाये जायें जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
- 1.7 दल गठन के समय यथा सम्भव दल सदस्यों के पदस्थापन स्थान से अधिकतम 15 कि.मी. दूरी तक के गैर-सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिये जायें।

2. विशेष सत्यापन दलों का गठन:-

- 2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे।
- 2.3 ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाएंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएंगे।
- 2.4 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।
- 2.5 विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जाँच की जायेगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं।
- 2.6 विशेष जाँच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है।

3. सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :-

- 3.1 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा।
- 3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को "दुर्बल वर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह" की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैंचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जाँच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

- 3.3 निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑनलाइन व विगत सत्रों की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।
- 3.4 यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2017 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश आरटीई वेब-पोर्टल <http://www.rajpsp.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
- 3.5 सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों को दिशा-निर्देशों की एक-एक प्रति भी दी जाएगी।
- 3.6 जिला एवं ब्लॉक के आरटीई प्रभारी अधिकारियों के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवाये जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

4. भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम :

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	29.09.2017 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	03.10.2017 से 31.10.2017 तक
3	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	03.10.2017 से 7.11.2017 तक
4	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना।	03.10.2017 से 15.11.2017 तक

नोट:—कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्ट कर अधिकतम 3 दिवस के अन्दर पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

5. भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों को कार्यालय स्तर से सत्यापित करना :-

- 5.1 भौतिक सत्यापन के दौरान सतत मॉनिटरिंग कर विद्यालयों से सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रविष्टि करवायी जाए।
- 5.2 जिन विद्यालयों के सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि कर लॉक कर दिए जाएं उन प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रति से मिलान करते हुए उन्हें तत्काल सत्यापित या असत्यापित कर दिया जाए।
- 5.3 सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नम्बर अथवा आधार नामांकन के नम्बर ऑनलाइन प्रविष्टि कर दिए गए हैं।
- 5.4 कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि तक सत्यापन प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विद्यालय के फीस पुनर्भरण से वंचित होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आरटीई की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश (सत्र 2017-18)

1. सत्यापन हेतु सामान्य निर्देश :-

- 1.1 विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सभी बालक-बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है।
- 1.2 भौतिक सत्यापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैंस बुक, रसीद बुक, बैंक पास बुक, एस.आर. रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण-पत्र तैयार रखें। **आरटीई अधिनियम की धारा 12(3)के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है।**
- 1.3 सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- 1.4 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति (Location), कक्षा स्तर (किस कक्षा तक), मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।
- 1.5 विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जाँच के बाद ही इन्हें सत्यापित करें। यदि विद्यालय के ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में परिवर्तन है तो यह परिवर्तन विद्यालय लॉगिन से ही सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन करते समय किया जा सकता है लेकिन यदि विद्यालय के ब्लॉक के नाम में परिवर्तन है तो रिपोर्ट ऑनलाइन प्रविष्टि होने के बाद बीईईओ/डीईओ मा.शि. के लॉगिन से रिपोर्ट सत्यापित करने से पूर्व यह परिवर्तन किया जाये तथा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित बीईईओ/डीईओ कार्यालय को भिजवाई जाये।
- 1.6 विद्यालय की एण्ट्री कक्षा (विद्यालय में कक्षा-1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एण्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एण्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एण्ट्री कक्षा 5+ होगी) की जाँच की जाये।
- 1.7 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।
- 1.8 इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत है। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।
- 1.9 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जायेगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जायेगी। **भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाए।**
- 1.10 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।
- 1.11 सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

2 आधार कार्ड सत्यापन सम्बन्धी निर्देश :-

- 2.1 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं (वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित तथा पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत) के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन रसीद की फोटोकॉपी लिया जाना अनिवार्य है।
- 2.2 जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है, उन बालक-बालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाये परन्तु जिन बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड

- अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय को शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है उन्हें अपात्र नहीं किया जाये। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में ऐसे बालक-बालिकाओं के कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाये।
- 2.3 यदि किसी विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं में से कुछ के आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त नहीं हुई है तथा इनके शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है वह विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक नहीं करें।
 - 2.4 विद्यालय ऐसे बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि फोटोकॉपी सत्यापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्राप्त होती है तो विद्यालय के संस्थाप्रधान सत्यापन रिपोर्ट की विद्यालय प्रति एवं आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी को सम्बन्धित कार्यालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु बीईईओ एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.) में प्रस्तुत करेंगे।
 - 2.5 सम्बन्धित कार्यालय में आरटीई प्रभारी द्वारा आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी का मिलान सत्यापन रिपोर्ट में बालक-बालिका के विवरण से किया जायेगा तथा विवरण सत्यापित होने पर सभी फोटोकॉपी पर आरटीई प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इन बालक-बालिकाओं को सत्यापन रिपोर्ट की दोनों प्रतिओं (विद्यालय एवं कार्यालय प्रति) में सत्यापित फीस के पुनर्भरण योग्य किया जायेगा।
 - 2.6 सत्यापन रिपोर्ट में आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन के सम्बन्ध में सभी बालक-बालिकाओं की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को ऑनलाइन कर लॉक किया जायेगा।
 - 2.7 सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक विद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट को कार्यालय प्रति के आधार पर प्रमाणित (Verify) करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि रिपोर्ट में पात्र पाये गये बालक-बालिकाओं की आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या प्रविष्ट कर दी गई है।
 - 2.8 यदि किसी बालक/बालिका के विद्यालय में उपलब्ध विवरण यथा बालक/बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक या पता, आधार कार्ड में दी गई सूचनाओं की तुलना में आंशिक रूप से भिन्न है तो इन बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त नहीं किया जाए।
 - 2.9 इन बालक-बालिकाओं के विवरण की आंशिक अशुद्धियों को आधार कार्ड के आधार पर बाद में सही कर दिया जायेगा यदि इन अशुद्धियों को सही करने से बालक/बालिका की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

3. निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की जॉच सम्बन्धी निर्देश :-

- 3.1 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जॉच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात् पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं।
- 3.2 सत्यापन दल 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं शेष 75 प्रतिशत सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं।
- 3.3 शैक्षिक सत्र 2017-18 में ए-ट्री कक्षा में निःशुल्क व सःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं की गहनता से जांच करें। यदि सत्यापन के समय निःशुल्क 25 प्रतिशत सीट्स पर दिये गये प्रवेश की तुलना में सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर कम संख्या में बालक-बालिकाएं अध्ययनरत पाये जाते हैं तो सःशुल्क 75 प्रतिशत सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर ही 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर बालक-बालिकाओं को सत्यापित किया जाये। निःशुल्क सीट्स पर 25 प्रतिशत से अधिक संख्या में प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से वरीयता सूची में नीचे से बालक-बालिकाओं के प्रवेश को निरस्त किया जायेगा।
- 3.4 यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशित बालक-बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।
4. विद्यालय की फीस की जॉच सम्बन्धी निर्देश :-
- 4.1 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे।
- 4.2 फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा रसीद बुक,कैशबुक, बैंक पासबुक,फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात कर फीस की पुष्टि कर ली जावे।
- 4.3 फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं करने पर इस सत्र की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की

पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।

4.4 सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंसा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5. सत्यापन दल द्वारा नवप्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जाँच :- यह जाँच निम्नांकित आधारों पर की जायेगी।

5.1 बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित होना चाहिए।

5.1.1 "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" में निम्नांकित वर्गों को शामिल किया गया है :-

1. ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये या उससे कम है।

2. अनुसूचित जाति के बालक।

3. अनुसूचित जन जाति के बालक।

4. अनाथ बालक।

5. एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक।

6. युद्ध विधवा के बालक

7. निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

8. पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.0 लाख रुपये या उससे कम है।

9. ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी. एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।

5.1.2 "दुर्बल वर्ग" अथवा "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

5.1.3 शैक्षिक सत्र 2015-16 एवं इससे पूर्व के सत्रों में सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के बालक-बालिकाओं के प्रवेश हेतु माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये तक थी अतः इन सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं से वर्तमान सत्र (2017-18) में 2.5 लाख तक की वार्षिक आय के प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायें। शैक्षिक सत्र 2016-17 में आय के आधार पर किसी भी बालक-बालिका का प्रवेश नहीं हुआ है। शैक्षिक सत्र 2017-18 से वार्षिक आय की सीमा 1.00 लाख रुपये तक कर दी गई है। अतः वर्तमान सत्र में आय के आधार पर नवप्रवेशित बालकों के आय प्रमाण-पत्र 1.00 लाख रुपये वार्षिक आय तक के ही स्वीकार किए जाएँ।

5.1.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन बालक, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक एवं बीपीएल बालक के प्रवेश आय के आधार पर नहीं होते हैं। अतः इनसे आय प्रमाण-पत्र नहीं लिया जायें।

5.2 प्रवेश हेतुकैचमेन्ट एरिया :-

5.2.1 आरटीई राज्य नियमों के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेन्ट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से सम्बन्धित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गाँव में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गाँव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिकाएँ प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

5.2.2 यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम/वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र/शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्वके सत्रों में प्रवेशित बालकों की निःशुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनकी निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी।

5.2.3 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र:- बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक

दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल/पानी का बिल भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा।

5.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता :- एण्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया गया है।

5.3.1 प्रथम विकल्प :- आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार- अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एण्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगी :-

क्र. सं.	विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा-1 से पहले)	एण्ट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	तीन वर्षीय	Pre Primary 3+(PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2	दो वर्षीय	Pre Primary 4+(PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3	एक वर्षीय	Pre Primary 5+(PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

5.3.2 द्वितीय विकल्प :- विद्यालय जिस बोर्ड से सम्बद्ध है, उस बोर्ड द्वारा एण्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु यदि कोई आयु सीमा निर्धारित की है अथवा विद्यालय ने अपने स्तर पर 75 प्रतिशत गैर आरटीई सीटों पर प्रवेश हेतु कोई पारदर्शी आयु नीति (Age Policy) बना रखी है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया है तो 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु भी यह आयु नीति मान्य होगी, लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों को एण्ट्री कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकेगा तथा किसी भी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। विद्यालय यदि आरटीई पोर्टल पर आयु पॉलिसी के द्वितीय विकल्प का चयन करता है तो उसे अपनी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी।

नोट - उपरोक्त व्यवस्था में एण्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये हैं वे विद्यालयों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिकाओं की न्यूनतम व अधिकतम आयु 31 मार्च, 2017 को पूर्ण होनी चाहिए।

5.3.3 आयु के सबूत के लिये दस्तावेज :- आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में :-

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और

(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

(घ) बालक का आधार कार्ड।

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्य होगा।

5.3.4 यदि किसी बालक/अभिभावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएँ गलत पायी जाती हैं, अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएँ संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने के कारण बालक अपात्र होता है तो इसके लिए बालक/अभिभावक स्वयं उत्तरदायी होगा।

भाग-3

आरटीई की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन(सत्र 2017-18)

1. निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद व पदस्थापन स्थान :-

1.1 निरीक्षणकर्ता अध्यक्ष

1.1.1 नाम

1.1.3 पदस्थापन स्थान

1.1.2 पद

1.1.4 मोबाइल नं.

1.2 निरीक्षणकर्ता सदस्य

1.2.1 नाम

1.2.3 पदस्थापन स्थान

1.2.2 पद

1.2.4 मोबाइल नं.

2 निरीक्षण की दिनांक :-/...../.....

3. विद्यालय से सम्बन्धित विवरण :-

3.1 विद्यालय का नाम

3.3 विद्यालय का पूर्ण पता

3.4 जिला

3.6 ग्राम पंचायत/यूपलबी

3.8 विधानसभा क्षेत्र

3.2 डाईस कोड

3.5 ब्लॉक

3.7 ग्राम/वार्ड

3.9 पिन कोड

4. मान्यता के आधार पर विद्यालय में शिक्षण का माध्यम

हिन्दी/इंग्लिश/दोनों

5. विद्यालय के दो माध्यम होने पर माध्यमवार विवरण :-

5.1 हिन्दी माध्यम

5.1.1 विद्यालय श्रेणी (उचित पर सही का निशान लगायें)

- Primary(1-5)

- Upper Primary Only (6-8)

- Upper Pr. and Secondary (6-10)

- Pr. With Up. Pr. Sec. and H.Sec.(1-12)

-Secondary With Higher Sec. (9-12)

- Primary with Upper Primary (1-8)

- Pr.Up. and Sec. Only (1-10)

- Secondary Only (9-10)

- Up. Pr. Secondary and Higher Sec. (6-12)

- Higher Sec. Only (11-12)

5.1.2 विद्यालय का प्रकार

Boys/Girls/Co-Edu

5.1.3 विद्यालय अन्तिम मान्यता संख्या

5.1.4 विद्यालय अन्तिम मान्यता दिनांक

5.1.5 विद्यालय किस बोर्ड से सम्बद्ध है

CBSE/RBSE/ICSE/IB/CISCE/NONE

5.1.6 मान्यता नम्बर

5.1.7 बोर्ड से मान्यता प्राप्ति दिनांक

5.1.8 आरटीई मान्यता आदेश क्रमांक (यदि है तो).....
(नोट - 01.04.2010 से पूर्व स्थापित विद्यालयों पर लागू।)

5.1.9 आरटीई मान्यता आदेश दिनांक

5.1.10 पूर्ण आवासीय विद्यालय

हाँ/नहीं

5.1.11 विद्यालय का सम्पर्क विवरण :-

5.1.11.1 संस्था प्रधान का नाम

5.1.11.2 मोबाइल नं.

5.1.11.3 विद्यालय का फोन नम्बर एसटीडी कोड सहित.....

5.1.11.4 विद्यालय का ई-मेल.....

5.1.12 विद्यालय का अन्य विवरण :-

5.1.12.1 विद्यालय में संचालित कक्षाएँ (हिन्दी माध्यम):-.....से.....तक।

5.1.12.2 क्या विद्यालय को अल्पसंख्यक श्रेणी की मान्यता है? हाँ/नहीं

5.1.12.3 यदि हाँ तो, क्या विद्यालय आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देता है? हाँ/नहीं

5.2 अंग्रेजी माध्यम

5.2.1 विद्यालय श्रेणी (उचित पर सही का निशान लगायें)

- Primary(1-5)
- Upper Primary Only (6-8)
- Upper Pr. and Secondary (6-10)
- Pr. With Up. Pr. Sec. and H.Sec.(1-12)
- Secondary With Higher Sec. (9-12)

- Primary with Upper Primary (1-8)
- Pr.Up. and Sec. Only (1-10)
- Secondary Only (9-10)
- Up. Pr. Secondary and Higher Sec. (6-12)
- Higher Sec. Only (11-12)

5.2.2 विद्यालय का प्रकार

Boys/Girls/Co-Edu

5.2.3 विद्यालय अन्तिम मान्यता संख्या

5.2.4 विद्यालय अन्तिम मान्यता दिनांक

5.2.5 विद्यालय किस बोर्ड से सम्बद्ध है

CBSE/RBSE/ICSE/IB/CISCE/NONE

5.2.6 मान्यता नम्बर

5.2.7 बोर्ड से मान्यता प्राप्ति दिनांक

5.2.8 आरटीई मान्यता आदेश क्रमांक (यदि है तो)..... (नोट - 01.04.2010 से पूर्व स्थापित विद्यालयों पर लागू।)

5.2.9 आरटीई मान्यता आदेश दिनांक

5.2.10 पूर्ण आवासीय विद्यालय

हाँ/नहीं

5.2.11 विद्यालय का सम्पर्क विवरण :-

5.2.11.1 संस्था प्रधान का नाम

5.2.11.2 मोबाइल नं.

5.2.11.3 विद्यालय का फोन नम्बर एसटीडी कोड सहित.....

5.2.11.4 विद्यालय का ई-मेल.....

5.2.12 विद्यालय का अन्य विवरण :-

5.2.12.1 विद्यालय में संचालित कक्षाएँ (हिन्दी माध्यम):-.....से.....तक।

5.2.12.2 क्या विद्यालय को अल्पसंख्यक श्रेणी की मान्यता है? हाँ/नहीं

5.2.12.3 यदि हाँ तो, क्या विद्यालय आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देता है? हाँ/नहीं

6. विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु एन्ट्री कक्षाएँ एवं उनकी प्रवेश क्षमता :-

(नोट : विद्यालय में कक्षा-1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर कक्षा 5+ होगी।)

6.1 प्रथम एन्ट्री कक्षा

6.2 माध्यम

6.3 आयु पॉलिसी

6.4 द्वितीय एन्ट्री कक्षा (यदि है तो)

6.5 माध्यम

6.6 आयु पॉलिसी

7. सत्यापन के दिन 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं 75 प्रतिशत सःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे कक्षावार बालकों की वास्तविक उपस्थिति (यह विवरण विद्यालय में संचालित सभी कक्षाओं के लिए भरना है) :-

क्र. सं.	कक्षा	माध्यम	25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की संख्या		सत्यापन के दिन उपस्थिति		75 प्रतिशत सःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की संख्या		सत्यापन के दिन उपस्थिति	
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	PP3+/LKG/Nur									
2	PP4+/UKG/KG									
3	PP5+/PREP/HKG									
4	I									
5	II									
6	III									
7	IV									
8	V									
9	VI									

10	VII									
11	VIII									
12	IX									
13	X									
14	XI Science									
15	XII Science									
16	XI Commerce									
17	XII Commerce									
18	XI Arts									
19	XII Arts									

8. विद्यालय में निःशुल्क (25 प्रतिशत) सीट्स पर अध्ययनरत बालकों का सत्यापन :-

8.1 बालकों की पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य होने के कारण :- बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" का है, कैचमेंट एरिया का निवासी है तथा विद्यालय की एंट्री कक्षा के लिए निर्धारित आयु का है तथा इनसे संबंधित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा एवं रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक की तिथियों में जारी किये गए हैं।

8.2 बालकों की अपात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण :-

अयोग्यता कोड	बालकों के पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण	वर्तमान सत्र में प्रवेशित बालकों के लिए	पूर्व सत्रों में प्रवेशित तथा क्रमोन्नत बालकों के लिए
11	बालक "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह" का नहीं है।	लागू	लागू नहीं
12	बालक के "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह" एवं निवास से सम्बन्धित दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं हैं।	लागू	लागू नहीं
13	बालक के "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह", आयु एवं निवास से सम्बन्धित दस्तावेज रिपोर्टिंग तिथि के बाद की तिथि में जारी किए गए हैं।	लागू	लागू नहीं
14	वर्तमान में बालक के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है। (केवल सामान्य, ओबीसी, एसबीसी के सत्र 2015-16 या पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों पर लागू)। शैक्षिक सत्र 2017-18 में नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं के लिए वार्षिक आय की यह सीमा 2.5 लाख रुपये के स्थान पर 1.00 लाख रुपये वार्षिक है।	लागू	लागू
15	बालक कैचमेंट एरिया से बाहर का निवासी है।	लागू	लागू नहीं
16	बालक ने 01.09.2017 से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया है।	लागू नहीं	लागू
17	बालक गत सत्र में अध्ययनरत रहा है परन्तु वर्तमान सत्र में विद्यालय छोड़ दिया है।	लागू नहीं	लागू
18	बालक की मृत्यु हो गयी है।	लागू	लागू
19	बालक का डाटा गलती से प्रविष्ट हो गया।	लागू	लागू
21	बालक प्रवेश के पश्चात् अध्ययन के लिए नहीं आया।	लागू	लागू
25	बालक ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है।	लागू	लागू
28	बालक के आधार कार्ड/आधार नामांकन की रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है।	लागू	लागू

8.3 निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की सूची :-

क्र. सं.	विधार्थी का नाम	पिता का नाम	एस. आर.	जन्म दिनांक	कक्षा	माध्यम	मोबाइल नम्बर	आधार नं./ आधार नामांकन नं.	योग्य/ अयोग्य	अयोग्यता कोड

8.4 सःशुल्क (75 प्रतिशत) सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की सूची:-

क्र. सं.	विधार्थी का नाम	पिता का नाम	एस.आर.	कक्षा	माध्यम	मोबाइल नं.	अध्ययनरत है/नहीं

9. शेष 75 प्रतिशत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण (विद्यालय में संचालित समस्त कक्षाओं का) :-

क्र. सं.	संचालित कक्षा	विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस							
		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी

10. विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है? (यदि हाँ तो भेदभाव का उल्लेख करें।) हाँ/नहीं
11. निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा सहायक सामग्री दी गई है। हाँ/नहीं
12. विद्यालय को गत वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण की राशि का इन्द्राज कैश बुक में किया जाता है। हाँ/नहीं
13. गत सत्रों में प्रवेशित एवं क्रमोन्नत बालकों के संबंध में प्रवेश आवेदन पत्र, वांछित दस्तावेज, निरीक्षण प्रतिवेदन, क्लेम बिल की प्रति एवं कैश बुक विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखे हुए है। हाँ/नहीं (नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 19 में पूर्ण उल्लेख करें)
14. छात्र उपस्थिति पंजिका एवं छात्र मूल्यांकन संबंधी अभिलेखों का अवलोकन करने पर निःशुल्क एवं सःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की उपस्थिति नियमित पायी गयी। (नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 19 में उल्लेख करें।) हाँ/नहीं
15. क्या विद्यालय को सरकार से रियायती दर पर भूमि का आवंटन हुआ है? हाँ/नहीं
16. यदि "हाँ" तो आवंटन की शर्तों में कमजोर वर्ग के कितने प्रतिशत बालक-बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
17. सत्यापन प्रतिवेदन में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत केवल उन्ही बालक-बालिकाओं को सत्यापित एवं फीस के पुनर्भरण योग्य किया गया है, जिनके आधार कार्ड अथवा आधार नामांकन रसीद की फोटोकॉपी विद्यालय में उपलब्ध है। इन सभी फोटोकॉपी पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर भी हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
18. विद्यालय में निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर नामांकित बालक-बालिकाओं का मिलान कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से भी कर लिया गया है।
19. अन्य विवरण जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझे:-

20. निरीक्षण प्रतिवेदन की उपरोक्त समस्त सूचनाओं से विद्यालय सहमत है तथा इस सत्यापन प्रतिवेदन की वेबपोर्टल पर प्रविष्टि निर्धारित तिथि से पूर्व कर दी जायेगी। रिपोर्ट के मिलान के दौरान कार्यालय द्वारा रिपोर्ट को रिजेक्ट किये जाने पर 3 दिवस के अन्दर रिपोर्ट को सही प्रविष्टि कर पुनः लॉक कर दिया जायेगा। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।
21. प्रमाणित किया जाता है कि हमने (नाम) 1.....2.....दिनांक.....को
.....(विद्यालय का नाम) में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों का विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कर उनके प्रवेश एवं पात्रता संबंधी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क सम्बन्धी दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है।

हस्ताक्षर सदस्य
भौतिक सत्यापन दल

हस्ताक्षर अध्यक्ष
भौतिक सत्यापन दल

प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त की।
दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
विद्यालय की मोहर सहित